फर्द अहकाम

(नियम 26)

राजस्व विविध प्रकरण जीसीएमएस नंबर 2023/184

बअनवान ग्राम पंचायत शिवतलाव बनाम तहसीलदार, बाली

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128, 131, 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
04/12/24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी उपस्थित। अप्रार्थी पैरोकार सरकार उपस्थित। उपस्थित वकुलाय की प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128, 131, 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 पर बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी श्री गणपतलाल चौधरी ने बहस में प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यो को दोहराते हुये दलील दी कि ग्राम शिवतलाव के गत् खसरा नंबर 426 किस्म गैर मुमकीन आगौर का रकबा 13 बीघा 18 बिस्वा था, जिसको भू0 प्रबन्ध बाद के अधिकार अभिलेखो में गत् खसरा नंबर 426 से बने हाल खसरा नंबर 642 का रकबा 10 बीघा 6 बिस्वा के तुल्य 1.65 हैक्टर दर्ज किया एवं गत् खसरा नंबर 426 की शेष भूमि 3 बीघा 18 बिस्वा (0.63 हैक्टर) को मौका स्थिति के विपरित नये खसरा नंबर 643 गैर मुमकीन तालाब में मिला दी। सैटलमेंट की उक्त भूल से शिवतलाव के गत् खसरा नंबर 427 गैर मुमकीन तालाब का रकबा 13 बीघा 18 बिस्वा था, वो सैटलमेंट के बाद मिलान क्षैत्रफल अनुसार बने हाल खसरा नंबर 643 का रकबा 4.27 हैक्टर (26–27 बीघा) दर्ज कर दिया, जो सैटलमेंट के पहले दर्ज रकबे के मुकाबले 7–8 बीघा की वृद्धि दर्ज कर दी। वकील प्रार्थी ने बहस में आगे दलील दी कि गत् खसरा नंबर 426 की तरमीम पुर्व राजस्व नक्शा ट्रेस में जिस तहर की हुई थी, उसी अनुरूप मौके पर आबादी बसाई गई और उसी अनुरूप ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे जारी किये गये, लेकिन सैटलमेन्ट के बाद तैयार नक्शे में मौका स्थिति के विपरित हाल खसरा नम्बर 642 की तरमीम जानबुझकर तालाब के खसरे में मिला दी, जबकि मौके पर तालाब से जुडती गांव की तरफ की भूमि पर आबादी बसी हुई है, तथा ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे भी लोगो–को दिये हुये है। वकील प्रार्थी द्वारा बहस में दलील दी गई कि गत् खसरा नंबर 426 रकबा 13 बीघा 18 बिस्वा किस्म गैर मुमकीन आगोर मेंसे राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–3) विभाग के क्रमॉक एफ 2(122) राज./3/84/जयपुर दिनांक 16.7.1984 से 10 बीघा भूमि आगोर एवं गत् खसरा नंबर 423 रकबा 5 बीघा किस्म गैर मुमकीन गोवा को खारिज कर प्रिमियम मूल्य लेकर ग्राम पंचायत को आवंटन करने के आदेश जिलाधीश पाली के नाम पारित किये गये। जिसकी पालना में जिलाधीश पाली के आदेश क्रमॉक एफ 12(3)/राज./83/4753 दिनांक 1.10.1984 द्वारा उक्त भूमि को आगौर से खारिज कर आबादी में परिवर्तन के आदेश पारित किये तथा भूमि का कब्जा ग्राम पंचायत को सुपुर्द किये जाने के आदेश पारित किये गये। पारित आदेश की पालना में जमाबंदी संवत् 2030 से 2033 में नोट भी लगाया गया था, लेकिन तत्समय भू–प्रबन्ध विभाग की कार्यवाही चल रही थी, जिस कारण गत् खसरा नंबर 426 से बने हाल खसरा नंबर 642 मेंसे रकबा 10 बीघा भूमि को आबादी के तौर पर ग्राम पंचायत के खाते में दर्ज नहीं किया गया। इस प्रकार सैटलमेंट की भूल से प्रकरण में निम्न त्रुटिया होना वर्णित किया:– 1. जिलाधीश पाली के आदेश दिनांक 1.10.1984 से गत् खसरा नंबर 426 मेसे 10 बीघा भूमि आबादी के लिये ग्राम पंचायत को आवंटन के बावजुद गत् खसरा नंबर 426 से बने हाल खसरा नंबर 642 में 10 बीघा भूमि आबादी में दर्ज नहीं की गई। 2. गत् खसरा नंबर 426 से बने हाल खसरा नंबर 642 का रकबा 03 बीघा 18 बिस्वा कम दर्ज किया, एवं उक्त रकबा मौका स्थिति के विपरित हाल खसरा नंबर 643 गैर मुमकीन तालाब में मिला दिया,	

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये

तथा साथ ही तालाब की भूमि गत् खसरा नंबर 427 का रकबा 19 बीघ 08 बिस्वा के बजाय 4.26 हैक्टर (26–27 बीघा) दर्ज कर दिया।

3. गत् खसरा नंबर 426 से बने हाल खसरा नंबर 642 की तरमींम मौका स्थिति के विपरित दुर्ज कर दी, अर्थात् हाल खसरा नंबर 642 में गांव की तरफ और तालाब से जुडती जो भूमि है, उस पर आबादी बसी होने के बावजुद तालाब की भूमि खसरा नंबर 643 में मिलाते हुये नक्शे में गलत तरमीम कर दी।

इस प्रकार सैटलमेंट द्वारा उक्त 03 त्रुटिया करने से आवेदक प्रार्थी द्वारा धारा 128,131 व 136 भू0राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत आवेदन पेश कर नक्शे में मौका स्थिति के अनुसार शुद्धि के साथ भू0 प्रबन्ध विभाग की त्रुटि को शुद्ध करते हुये हाल खसरा नंबर 642 का रकबा 2.24 हैक्टर एवं हाल खसरा नंबर 643 मेंसे (4.26–0.59)=3.67 हैक्टर दर्ज किये जाने के साथ खसरा नंबर 642 की किस्म गैर मुमकीन आबादी दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये जाने की दलील दी गई।

विद्वान् वकील प्रार्थी द्वारा मौखिक बहस के साथ लिखित बहस भी पेश की। तथा निम्न न्यायिक दृष्टान्त भी पेश किये:–

1. 2019(2) RRT 970
2. 2001(1) RRT 244
3. 2009(2) RRT 954
4. 2024(1) RRT 463] 437] 346
5. 2021(2) RRT 1016
6. 2020(1) RRT 24,37

अपनी लिखित बहस में दलील दी गई कि राज्य सरकार एवं जिलाधीश के आदेश की पालना में गत् खसरा नम्बर 426 रकबा 10 बीघा भूमि आगैर से खारिज कर आबादी में परिवर्तित की गई थी और ग्राम पंचायत को सुपुर्द की गई थी। जहां पर ग्राम पंचायत ने विधिवत प्लान बनाकर लोगो को भूखण्ड आवंटन किये एवं मौके पर लोगो के रहवासीय पक्के मकानात बने हुये है, पूरी कॉलोनी बसी हुई है, लेकिन उपरोक्त आबादी आदेश का राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज नहीं हुआ, इस कारण से आज भी उपरोक्त भूमि हाल खसरा नंबर 642 के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकीन आगोर दर्ज चली आ रही है, जो अशुद्ध इन्द्राज है, जिसे शुद्ध किया जाना और राज्य सरकार तथा जिलाधीश पाली के आदेश की पालना राजस्व रिकॉर्ड में किया जाना आवश्यक है।

उपस्थित पैरोकार सरकार ने बहस में तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुये प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार भू0प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान् हाल खसरा नंबर 643 किस्म गै.मु. आगोर में से 6.18 बीघा (1.12 हैक्टर) खसरा नंबर 643 गै.मु. तालाब की भूमि में जोड देने से तालाब के रकबे में बढौतरी हुई है तथा आगौर के रकबा में कमी हुई है। जिससे प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार शुद्धि किये जाने की सहमति प्रकट की गई।

पत्रावली व उपलब्ध रिकार्ड के अध्ययन एवं उभय पक्ष वकुलाय की बहस एवं धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 में विधि द्वारा स्थापित सिद्वान्तो पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से हस्तगत् प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य हैं कि प्रार्थी द्वारा जिस भूमि को आबादी दर्ज किये जाने की मांग की जा रही है, वह भूमि सैटलमेंट पुर्व के अधिकार अभिलेखों में गै.मु. आगोर दर्ज रही है, तथा वर्तमान अधिकार अभिलेखों में भी गैर मुमकीन आगौर एवं गैमु. तालाब के तौर पर दर्ज है। जिससे भू0प्रबन्ध विभाग की त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। इसके साथ ही प्रार्थी द्वारा मौका स्थिति के अनुसार गै.मु. तालाब से विलोपित कर आबादी दर्ज किये जाने की मांग की गई है, लेकिन किस्म परिवर्तन के अधिकार धारा 136 के तहत उपखण्ड

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी, बाली, जिला - पाली (राज.)

3

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
	अधिकारी को प्रदत्त नहीं है। तथा भूमि की किस्म गै.मु. आगोर व गै. मु. तालाब होने से धारा 16 टिनेन्सी एक्ट में वर्णित प्रतिबंधित श्रेणीयो की भूमि है, जिससे भी प्रार्थी के आवेदन पत्र को स्वीकार किया जाना न्यायसंगत नहीं है। जहां तक ग्राम पंचायत के नाम भूमि आबादी दर्ज करने का प्रश्न है, इसके लिये ग्राम पंचायत अपने नाम भूमि दर्ज करवाने के लिये सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपना आवेदन/वाद प्रस्तुत कर चाहा गया अनुतोष प्राप्त करने के लिये पृथक से चाराजोही करने के लिये स्वतंत्र हैं। उक्त विवेचन से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 128,131,136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 के प्रावधानो के तहत स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। भू0अभिलेख अधिकारी एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली उपखण्ड अधिकारी, बाली	

Scanned with CamScanner